हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(सामा.न्याय एवं अधि. बी)

संख्या वैल--बी--ए (10) 17/98 दिनांक शिमला–171002, 28 अगस्त, 2009

अधिसूचना

इस विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या कल्याण--ए

(3)–4/89 दिनांक 24.8.1991 तथा समय--समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं

को निरस्त करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश अन्तर्जातीय विवाह नियम/योजना

2009 को संलग्न अनुबन्ध के अनुसार बनाने में सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह नियम/योजना हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

प्रेम कुमार
प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या:वैल--बी--ए (10) 17/98 दिनांक शिमला–171002, 28 अगस्त, 2009

प्रतिलिपि–

1. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश को उनके पत्र संख्या 9--24/2008--(एस)–एस.जे.ई. दिनांक 13.1.2009 के संदर्भ में, 25 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
2. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त जिला कल्याण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
6. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हिमाचल प्रदेश शिमला--171003.
7. उप सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार को दिनांक 10.8.2009 को हुई मंत्रीमण्डल की बैठक की मद संख्या 14 के संदर्भ में।
8. अवर सचिव (वित्त विनियम) हिमाचल प्रदेश सरकार।
9. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु।

अवर सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)
हिमाचल प्रदेश सरकार

13

अर्न्तजातीय विवाह पुरस्कार नियम/योजना

1. शीर्षक :

यह योजना हिमाचल प्रदेश अर्न्तजातीय विवाह पुरस्कार योजना 2009 कहलायेगी।

2. परिभाषाएं:

2.1 "निदेशक" से अभिप्राय हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक से है।

2.2 "अनुसूचित जातियों" से अभिप्राय भारत के संविधान के अनुछेद 341 के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जातियों से है।

2.3 "जिला कल्याण अधिकारी" से अभिप्राय सम्बन्धित जिला के जिला कल्याण अधिकारी से है।

2.4 "अर्न्तजातिय विवाह" से अभिप्राय अनुसूचित जातियों जो हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्याःडब्लयू.एल.एफ.-ए(3)14/76 दिनांक 18.11.1977 द्वारा घोषित की गई तथा अन्य जातियों के युवक/युवती के मध्य होने वाले विवाह से है।

2.5 "अन्य जातियों" से अभिप्राय हिन्दु, बौद्ध, सिख या जैन धर्म से सम्बन्धित जातियां जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अनुसूचित जातियों की सूचि में शामिल नहीं है।

2.6 "सरकार" से अभिप्राय हिमाचल प्रदेश सरकार से है।

2.7 "उपायुक्त" से अभिप्राय जिला के उपायुक्त से है।

2.8 "तहसील कल्याण अधिकारी" से अभिप्राय सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी से है।

2.9 "अनुबन्ध से अभिप्राय इस योजना के साथ सलग्न अनुबन्धों से है।

3. उद्देश्य :

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति तथा अन्य जातियों के मध्य विवाह को बढ़ावा देकर छूआछूत की कुप्रथा को समाप्त करना है।

4. पात्रता

अन्तर्जातीय विवाह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अन्य जातियों निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे:—

4.1 प्रार्थी हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हो।

4.2 दम्पति की आयु 50 वर्ष से अधिक न हो।

4.3 विवाह उचित अधिनियम/नियम के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ हो।

4.4 प्रार्थी द्वारा इससे पहले अन्तर्जातीय विवाह पुरस्कार प्राप्त न किया हो।

5. पुरस्कार प्राप्त करने की प्रक्रिया:

अन्य अनुसूचित जाति के युवक/युवति को पुरस्कार राशि प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध "क" पर निम्नलिखित दस्तावेजों सहित सम्बन्धित पंचायत/नगर निकायों के माध्यम से सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा:—

5.1 हिमाचली प्रमाण पत्र जो राजस्व अधिकारी (नायब तहसीलदार के पद से कम न हो), से जारी हो।

5.2 दम्पति का जाति प्रमाण पत्र जो राजस्व अधिकारी (नायब तहसीलदार के पद से कम न हो), से जारी हो।

5.3 आयु का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोडने का प्रमाण पत्र,दसवीं कक्षा की वार्षिक प्रमाण पत्र इत्यादि)

5.4 विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जो विवाह पंजीकरण अधिकारी से जारी हो।

5.5 दम्पति का फोटोग्राफ।

6. पुरस्कार राशि

अन्य जातियों के युवक/युवत को अनुसूचित जाति के युवती/युवक के साथ विवाह करने पर 25,000/—रू0 अथवा समय–2 पर सरकार द्वारा निर्धारित पुरस्कार राशि स्वीकृत की जाएगी।

7. पुरस्कार स्वीकृति की प्रक्रिया

7.1 पुरस्कार के लिये निर्धारित प्रार्थना पत्र में दिये गए तथ्यों की जांच सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा की जायेगी जो अपनी जांच रिपोर्ट सहित पात्र प्रार्थियों के प्रार्थना पत्र सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजेगें।

14

7.2 जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में समय–समय पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों की सूचि प्राप्ति की तिथि अनुसार रजिस्टर / सौफटवेयर में दर्ज करेगे था सम्बन्धित जिला को आबंटित बजट के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

8. पुरस्कार स्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी:

अर्न्तजातीय विवाह पुरस्कार स्वीकृत करने के लिये सम्बन्धित जिला के उपायुक्त सक्षम अधिकारी होगे।

9. पुरस्कार भुगतान की प्रक्रिया

9.1 पुरस्कार राशि में 60 प्रतिशत हिस्सा दम्पति के नाम संयुक्त रूप में बैंक / डाकघर पांच वर्ष के लिए किसी भी सावधि जमा योजना में जमा करवा कर दिया जायेगा जिसे सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी के नाम पर बन्धक रखा जायेगा तथा 40 प्रतिशत हिस्सा दम्पति के संयुक्त बचत खाता में सीधे जमा करवाया जायेगा तथा लाभार्थी से निर्धारित प्रपत्र अनुबन्ध "ख" पर रसीद प्राप्त की जायेगी।

9.2 पुरस्कार वितरण की तिथि के पांच वर्ष तक की अवधि के भीतर यदि दम्पति में विवाह विच्छेद हो जाता है तो 60 प्रतिशत राशि की सावधि जमा को रद्द करके जिला कल्याण अधिकारी सरकारी खजाना में जमा करवायेगे।

10. सत्यापन रिर्पोट

10.1 सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह लाभार्थियो से पुरस्कार राशि की प्राप्ति से पांच वर्ष तक की अवधि में प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर माह में यह रिर्पोट प्राप्त करेगा कि दम्पति खुशहाल विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे हैं अथवा नहीं तथा सभी मामलो की संकलित रिर्पोट निर्धारित प्रपत्र अनुबन्ध "ग" पर जिला कल्याण अधिकारी को 30 जनवरी तक प्रस्तुत करेंगे। जिला कल्याण अधिकारी समस्त तहसीलो की संकलित रिर्पोट निर्धारित प्रपत्र अनुबन्ध "ग" पर 15 फरवरी तक निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे।

10.2 यदि दम्पति के साथ विवाहित जीवन में जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव किया जाता है और उन्हें आपसी सम्बन्ध में समायोजन में कठिनाई आती है तो सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी / जिला कल्याण अधिकारी द्वारा उन्हें आवश्यक परामर्श देंगे।

11. <u>लेखाशीर्ष</u>

अन्र्तजातीय विवाह पुरस्कार योजना के अन्तर्गत होने वाला व्यय लेखाशीर्ष 2225–अनुसूचितजाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण– 01–अनुसूचित जाति का कल्याण–789–03(सूस) (योजना) के अन्तर्गत अथवा सरकार द्वारा समय–समय पर महालेखाकार की सहमति से किये गए संशोधित लेखाशीर्ष में प्रावधित बजट में से किया जायेगा।

12. <u>अभिलेख का रख रखाव</u>

सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी प्रत्येक अन्र्तजातीय विवाह से सम्बन्धित लेखा एवं रिकार्ड के रख रखाव हेतु जिम्मेदार अधिकारी होगें।

13. <u>लेखो के आडिट</u>

योजना के अन्तर्गत होने वाले व्यय का आडिट महालेखाकार (लेखा) हिमाचल प्रदेश के कार्यालय के द्वारा किया जायेगा।

--::--

Government of Himachal Pradesh
Department of Social Justice & Empowerment (B)

No. WLF-F(10)32/2000 **Dated Shimla-171002, the** 3rd **May,2013**

NOTIFICATION

The Governor, Himachal Pradesh is pleased to enhance the Inter Caste Marriage Award money amounting Rs.25,000/- to Rs. 50,000/- w.e.f 1-4-2013.

By Order

P.C.Dhiman
Principal Secretary (SJE) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. As above Dated: Shimla-171002, the 3rd **May,2013**
Copy forwarded to:-

1. All the Additional Chief Secretaries to the Government of H.P. Shimla-2
2. All the Pr. Secretaries/Secretaries to the Government of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, H.P. Shimla-2
4. The Special Secretary-cum-Pr. Private Secretary to the Hon'ble Chief Minster, Himachal Pradesh, Shimla-171002.
5. The Secretary to HE the Governor, Himachal Pradesh, Shimla-171002.
6. The Principal Accountant General (A&E)/Accountant General (Audit), Himachal Pradesh, Shimla – 171003.
7. All the Divisional Commissioners/HODs/Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
8. The Director, SCs, OBCs and Minority Affairs, HP, SDA Complex, Kasumpti, Shimla – 171009 w.r.t his letter No.9-32/2005(SJE) Inter Caste Marriage-4150 dated 21-3-2013 alongwith 5 spare copies for information and necessary action. It is requested that the aforesaid Scheme may be got printed from the HP Govt. Printing Press, Shimla – 171005 and its 20 copies may be supplied to this office for records purpose.
9. The Director, Women and Child Development, HP, SDA Complex, Kasumpti, Shimla – 171009.
10. The Additional Secretary (GAD) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla- 171002 in compliance to CMM item No. 33 dated 24.4.2013.
11. All Private Secretaries of the Ministers/CPS/PS in H.P. Sectt. Shimla-2.
12. The Controller printing and Stationary H.P. Government Printing Press Shimla-5 for publication in the Gazette as the same has been uploaded on e-Gazette.
13. Guard file/Spare copies (25).

03/05/2013
Special Secretary (SJE) to the
Government of Himachal Pradesh

Note:-

The Rules/Schemes was notified vide even number Notification: WLF-B-A(10)17/98 dated 28-8-2009 in supersession to all earlier notification/orders and have not been amended till date.